

# कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाएं

## (कृषकों को दी जाने वाली अनुदान/सहायता)

### आईसोपाम योजनाएं

घटक		अनुदान सहायता
<b>1. बीज</b>		
क. प्रमाणित बीज उत्पादन (बीज ग्राम योजना)		रूपये 500/- प्रति क्विं. अनुदान (रु. 375/- कृषक अंश तथा शेष रु. 125/- बीज प्रक्रिया केन्द्र)
ख. प्रमाणित बीज वितरण		वास्तविक कीमत का 30 प्रतिशत या अधिकतम रु. 800/- प्रति क्विं. अनुदान
ग. मिनीकिट वितरण		100 प्रतिशत अनुदान
राइजोबियम कल्चर/पी.एस.बी. पर अनुदान		कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम सीमा जो भी कम हो
<b>2. प्रदर्शन</b>		
अ. खण्ड प्रदर्शन दलहन योजना (प्रति हे.)		कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम सीमा जो भी कम हो
1	उर्द, मूंग, अरहर, तिवड़ा, मोथ, लोबिया, ग्वार, कुल्थी	रु. 2000/- हे.
2	मसूर	रु. 2200/- हे.
3	चना, मटर	रु. 2500/- हे.
4	राजमा	रु. 3500/- हे. प्रति हेक्टेयर अनुदान देय होगा।
ब	(1) खण्ड प्रदर्शन तिलहन योजना (प्रति हे)	मूंगफली 4000/-, सोयाबीन-3000/-, तोरिया, सरसों एवं अलसी 2000/-, सूरजमुखी 2500/- तिल, कुसुम, रामतिल, अरण्डी 1500/-
स	कृषक खेत पाठशाला एकीकृत जीव नाशी प्रबंधन	अधिकतम रु. 22680/- प्रति 40 हे. (30 कृषकों के समूह तथा 05 प्रशिक्षक अधिकारी)
3	जैविक नियंत्रण हेतु अनुदान (दलहन)	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. चना-747/- प्रति हे., अरहर 1140/- प्रति हे. (ट्राइकोडर्मा, फेरोमेनट्रेप, नीम उत्पाद, एन.पी.व्ही., बी.टी.)
4	जैविक नियंत्रण हेतु अनुदान (तिलहन)	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. सरसों 930/-, मूंगफली 1627/- सोयाबीन 428/-, सूरजमुखी 1230/- प्रति हे. (ट्राइकोडर्मा, फेरोमेनट्रेप, नीम उत्पाद, एन.पी.व्ही., बी.टी. क्राइसोपरला)
5	पौध संरक्षण यंत्र	हस्तचलित यंत्र के कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 800/- प्रति यंत्र जो भी कम हो स्प्रेयर डस्टर के लिये। शक्ति चलित यंत्र के कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2000/- प्रति यंत्र जो भी कम हो। स्प्रेयर डस्टर के लिए।
6	राइजोबियम कल्चर/पी.एस.बी.	रु. 50/- प्रति हे. या कीमत का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो)
7. सिंचाई पाईप पर अनुदान		35 पाईप (प्रति पाईप 6 मीटर लंबा) हेतु अनु.जा./अ.ज.जा. कृषकों हेतु रु. 15000/- (50 प्रतिशत) एवं सामान्य के लिये रु. 10000/- (33 प्रतिशत)
8. अंतवर्ती फसल प्रोत्साहन अनुदान		रु. 500/- प्रति हे. अधिकतम
9. स्टोरबिन पर अनुदान		रु. 2000/- या 50 प्रतिशत (जो भी कम हो)
10. सूक्ष्म तत्व		वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 200/- हे. जो भी कम हो देय होगा।

घटक	अनुदान सहायता
11. उन्नत कृषि यंत्र यह घटक वर्ष 04-05 में लागू थी।	—हस्तचलित/बैलचलित कृषि यंत्र के वास्तविक कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 2000/- जो भी कम हो अनुदान देय होगा। — शक्ति चलित फसल कटाई यंत्र का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 20000/- जो भी कम हो।
12. स्पिंकलर सेट	—अ.जा., अ.ज.जा. लघु, सीमांत, महिला, कृषकों के लिए कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 15000/- जो भी कम हो अनुदान देय। — कीमत का 33 प्रतिशत या अधिकतम । रु. 10000/- जो भी कम हो अन्य कृषकों के लिए अनुदान देय।
13. नींदानाशक/ कीटनाशक रसायन	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 500/- प्रति हे. अनुदान देय होगा।
14. जिप्सम पायराइट वितरण	कीमत का 50 प्रतिशत (वस्तु + परिवहन) या अधिकतम रु. 500/- हे. अनुदान देय होगा।
15. एन.पी.व्ही.	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 250/- हे. प्रति कृषक जो भी कम हो अनुदान देय होगा।
16. कृषक प्रशिक्षण	दलहनी, तिलहनी एवं मक्का फसल पर 50 कृषकों का दो दिवसीय प्रशिक्षण (राशि रु. 15000/-प्रशिक्षण)
<b>3. मक्का विकास कार्यक्रम</b>	
<b>1. खण्ड प्रदर्शन</b>	
— फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	अधिकतम रु. 4000/- प्रति हे. (खरीफ) कृषि आदान हेतु।
— आई.पी.एम. प्रदर्शन हेतु. (कृषक खेत पाठशाला)	रु. 22680/-प्रति प्रदर्शन 40 हे. हेतु या सम्पूर्ण ग्राम के लिये
2. प्रमणित बीज वितरण	रु. 800/- प्रति क्विं. या 30 प्रतिशत जो भी कम हो।
3. जैविक नियंत्रण विधियां	कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 1480/- प्रति हे. अधिकतम (ट्राइकोडर्मा, क्राइसोपरला एवं बी.टी.) अनुदान
4. नींदानाशक/ कीटनाशक	रु. 500/- या कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
5. पौध संरक्षण यंत्र	हस्तचलित यंत्र के कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 800/- प्रति यंत्र जो भी कम हो स्प्रेयर डस्टर के लिये। शक्ति चलित यंत्र के कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 2000/- प्रति यंत्र जो भी कम हो। स्प्रेयर डस्टर के लिए।
6. पी.एस.बी. (प्रति हे.)	रु. 50/- या 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
7. जिप्सम पायराइट (प्रति हे.)	रु. 500/- या 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
8. स्पिंकलर सेट	—कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम रु. 15000/- जो भी कम हो अ.जा.,अ.ज.जा., लघु, सीमांत, महिला, कृषकों के लिए अनुदान देय।
9. सिंचाई पाईप वितरण	35 पाईप (प्रति पाईप 6 मीटर लंबा) हेतु अ.जा./अ.ज. जा.कृषकों हेतु 15000/- (50 प्रतिशत) एवं सामान्य के लिये 10000/- (33 प्रतिशत)
10. अंतवर्ती फसल	रु. 500/-अधिकतम प्रति हे. अनुदान देय है।

घटक	अनुदान सहायता
11. सूक्ष्म तत्व	रु. 500/- या 50 प्रतिशत प्रति हे.
12. उन्नत कृषि यंत्र (चेफ कटर हस्त चलित) यह घटक वर्ष 2004-05 में लागू था।	रु. 4000/-या 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
13. मक्का छीलक यंत्र अनुदान पर वितरण	कीमत का 50 प्रतिशत या रु. 15 जो भी कम हो।

## मैक्रोमेनेजमेंट योजनाएं

घटक	अनुदान सहायता
<b>1. एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम – धान आधारित फसल पद्धति</b>	
1. आधार / प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान	रु. 200/- किवं. (कृषकों हेतु रु. 150/- एवं संस्था हेतु रु. 50/-) अनुदान देय
2. प्रमाणित बीज वितरण पर अनुदान	दस वर्ष के अंदर अधिसूचित किस्मों के धान/गेहूँ बीज पर रु. 200 प्रति किवं. अनुदान देय
3. धान आधारित फसल पद्धति प्रदर्शन	प्रति प्रदर्शन 10 एकड़, प्रति कृषक रु. 1000/- प्रत्येक मौसम (खरीफ एवं रबी) में प्रति एकड़ पर कृषि आदान सामाग्रियों पर अनुदान देय
4. धान उत्पादन तकनीकी पर प्रदर्शन	प्रति प्रदर्शन 10 एकड़, प्रति कृषक रु. 1000/- प्रति एकड़ अनुदान देय
5. गेहूँ उत्पादन तकनीकी प्रदर्शन	प्रति प्रदर्शन 10 एकड़, प्रति कृषक रु. 1000/- प्रति एकड़ अनुदान देय
6. फ्रंट लाईन प्रदर्शन	प्रति प्रदर्शन 10 एकड़, प्रति कृषक रु. 1200/- प्रत्येक मौसम (खरीफ एवं रबी) में प्रति एकड़ पर कृषि आदान सामाग्रियों पर अनुदान देय। यह प्रदर्शन कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र द्वारा आयोजित किये जायेंगे।
7. आई.पी.एम. प्रदर्शन (धान)	प्रति प्रदर्शन 40 हे., रु. 6000/- अनुदान सहायता
8. कृषक प्रशिक्षण	उन्नत कृषि तकनीक पर 50-50 कृषकों का खरीफ एवं रबी मौसम में दो दिवसीय प्रशिक्षण। रु. 5000 सहायता। रु. 50/- प्रति दिन प्रति कृषक मान देय।

घटक	अनुदान सहायता
<b>2. गन्ना फसल आधारित फसल पद्धति विकास कार्यक्रम</b>	
1. बीज प्रगुणन पर अनुदान	रु. 2000/- हे. प्रति कृषक अनुदान देय।
2. उन्नत तकनीकी प्रदर्शन	प्रति प्रदर्शन रु. 5000/- 0.50 हे. प्रति कृषक अनुदान देय।
3. आई.पी.एम. प्रदर्शन	प्रति प्रदर्शन रु. 5000/- 0.50 हे. प्रति कृषक अनुदान देय।
4. फ्रंट लाईन प्रदर्शन	प्रति प्रदर्शन 1.0 हे. रु. 15000/- अनुदान देय। यह प्रदर्शन कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि अनुसंधान केन्द्र द्वारा आयोजित किये जायेंगे।
5. कृषक प्रशिक्षण	उन्नत कृषि तकनीक पर 50-50 कृषकों का खरीफ एवं रबी मौसम में दो दिवसीय प्रशिक्षण। रु. 5000 सहायता। रु. 50/- प्रति दिन प्रति कृषक मान देय।
6. अधिकारी प्रशिक्षण	30 अधिकारियों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण, रु. 12500/-प्रति प्रशिक्षण सहायता देय।
<b>3. संतुलित एवं समन्वित उर्वरक उपयोग</b>	
1. संतुलित उर्वरक उपयोग (मिट्टी परिक्षण पर आधारित) प्रदर्शन	प्रति प्रदर्शन 10.0 एकड़, रु. 1500/- कृषक प्रत्येक मौसम (खरीफ एवं रबी) में प्रति एकड़ पर कृषि आदान सामाग्रियों पर अनुदान देय
2. हरी खाद बीज वितरण पर अनुदान	रु. 250/- हे. प्रति कृषक अनुदान देय।
3. जिंक सल्फेट (21 प्रतिशत) उपयोग प्रोत्साहन अनुदान	रु. 200/- हे. प्रति कृषक
<b>4. राष्ट्रीय जलग्रहण विकास कार्यक्रम</b>	
1. जल एवं मृदा संरक्षण कार्य	भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर विभिन्न कार्यों जैसे - परकोलेशन टैंक निर्माण, तालाब निर्माण, जल बहाव रोकने हेतु विभिन्न संरचनाओं का निर्माण, रोजगार मूलक कार्य, सामुदायिक कार्य, प्रशिक्षण पर व्यय किया जाता है।
<b>5. नदी घाटी एवं बाढ़ उन्मुख योजना</b>	
1. मृदा संरक्षण कार्य	भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार मृदा संरक्षण के विभिन्न कार्यों पर व्यय किया जाता है।
<b>6. कृषि यांत्रिकीकरण प्रोत्साहन योजना</b>	
1. 35 हार्सपावर तक के ट्रैक्टर	कीमत का 25 प्रतिशत या रूपया 30000/-जो भी कम हो।
2. पावर टिलर 8बी.एच.पी. तथा अधिक के पावर टिलर मय रोटा वेटर	कीमत का 25 प्रतिशत या रूपया 30000/- (औसत रु. 27000) जो भी कम हो।
3. सेल्फ प्रोपेल्ड यंत्र	कीमत का 25 प्रतिशत या रु. 50000/- (औसत रु. 18000) जो भी कम हो।
शक्ति चलित यंत्र-रोटा वेटर (जीरो टिल सीड ड्रिल एवं अन्य)	कीमत का 25 प्रतिशत या रु. 30000/- (औसत रु. 22000) जो भी कम हो। (जीरो टिल सीड ड्रिल औसत 5500/-)
ट्रेक्टर चलित-एम.बी.प्लाऊ, कल्टिवेटर, हेरो एवं अन्य	कीमत का 25 प्रतिशत या रु. 10000/- (औसत रु. 3600) जो भी कम हो।

घटक	अनुदान सहायता
4. शक्ति चलित	कीमत का 25 प्रतिशत या रू. 15000/- (औसत रू. 10000) जो भी कम हो।
5. हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्र	हस्त चलित – जेन्डर फ्रेंडली यंत्र 25 प्रतिशत या रू. 2000/- जो भी कम हो। बैल चलित – 25 प्रतिशत या रू. 3000/- जो भी कम हो।
<b>केन्द्र प्रवर्तित योजना बायोफ्यूल विकास कार्यक्रम :-</b>	
इलाईट नर्सरी एवं मॉडल पौधरोपण जेट्रोफा करंज	रू. 25000/- प्रति हे. अधिकतम सीमा सहित वास्तविक खर्च इसमें मजदूरी निवेश आदि का खर्च शामिल होगा। प्रति हे. 2500 पौधे लगाए जाएं।
टी.बी.ओ. गार्डन (सभी बायोडीजल वृक्ष शामिल हैं)	रू. 13000/- प्रति हे. कम से कम 500 पौधे लगाए जाएं। वास्तविक खर्च का 80 प्रतिशत अधिकतम सीमा सहित रू. 0.40 लाख प्रति हे.

## राज्यपोषित योजनाएं

घटक	अनुदान सहायता
<b>4. सूरजधारा योजना एवं 5. अन्नपूर्णा योजना</b> (अन्नपूर्णा – अनाज (धान, गेहूँ एवं मक्का) फसल) (सूरजधारा – दलहन, तिलहनी फसलें) <i>ये योजनाएं अ.जा. एवं जनजाति श्रेणी के श्रेणी के कृषकों के लिये लागू हैं।</i>	
1. बीज अदला बदली	बीज वितरण संस्था द्वारा अदला बदली में प्रदाय बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान या अधिकतमत रूपया 1500/- की सीमा में लघु एवं सीमान्त अ.जा. एवं अ.ज.जा. कृषकों को रहेगी।
2. बीज स्वावलंबन	कृषक द्वारा धारित 1/10 हे. के लिए आधार/प्रमाणित बीज 75 अनुदान पर एवं बीज की शेष राशि कृषक नगद/स्वयं की बीज का कीमत समर्थन मूल्य से। कृषक का बीज प्रमाणीकरण संस्था में उत्पादन कार्यक्रम में पंजीयन आवश्यक।
3. बीज उत्पादन कार्यक्रम	योजनान्तर्गत आधार/प्रमाणित बीज लघु एवं सीमान्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान पर एक हे. तक के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा। बीज की शेष राशि कृषक नगद रूपये या बीज के रूप में देगा।
<b>6. सामान्य गन्ना विकास योजना</b>	
1. गन्ना बीज प्रगुणन	उत्पादन लागत का 10 प्रतिशत अथवा रू. 2000/- प्रति हे. इसमें से जो भी कम हो देय होगा।
2. गन्ना बीज अनुदान	एक हेक्टर क्षेत्र में लगने वाले बीज की कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रू. 2500/- प्रति हेक्टर इसमें जो भी कम हो, अनुदान देय है।

### 7. लघु सिंचाई योजना (माईनर)

लक्ष्यानुसार विभाग द्वारा स्वीकृत प्रकरणों पर खोदे गये नलकूपों पर देय अनुदान

1. नाबार्ड द्वारा अनुमोदित या जिले में प्रचालित दर पर खनन की लागत दोनों में से जो भी कम हो, उसका 50 प्रतिशत या रूपया 8000/- जो भी कम हो अनुदान देय है।
2. सफल नलकूप पर पम्प प्रतिष्ठापन हेतु, प्रतिष्ठापन पर लगने वाले व्यय का 50 प्रतिशत या रूपया 10000/- जो भी कम हो, अनुदान देय है।

### 8. किसान समृद्धि योजना

अनुदान की पात्रता (अधिकतम)

	खनन पर (रु.)	पंप प्रतिष्ठापन पर (रु.)	कुल अनुदान (रु.)
1. सामान्य कृषक	10000.00	15000.00	25000.00
2. अ.जा./अ.ज.जा.	18000.00	25000.00	43000.00

### 9. नाडेप योजनान्तर्गत अनुदान पात्रता

1. लघु सीमांत (सामान्य, अ.जा., अ.ज.जा.) कृषकों को 1200.00 रूपये की दर से या 75 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान देय है।
2. अ.जा./अ.ज.जा. कृषकों हेतु 800.00 रूपये की दर से या 50 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान देय है।
3. सामान्य श्रेणी कृषकों को अनुदान रु. 400.00 की दर से या 25 प्रतिशत जो भी कम हो अनुदान देय है।

### 10. रामतिल उत्पादन प्रोत्साहन योजना

घटक	अनुदान सहायता
योजना का क्षेत्र :-	जशपुर, सरगुजा, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कांकेर (राज्य के 05 जिले)
योजनान्तर्गत कृषकों को दी जाने वाली सुविधाएं/अनुदान	
<b>बीज</b>	
बीज मिनीकिट वितरण	100 प्रतिशत अनुदान पर
ब्रीडर सीड खरीदी पर अनुदान	6500 रु. प्रति क्विं. या बीज की वास्तविक कीमत
आधार बीज उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान	500 रु. प्रति क्विं. (रु. 375 कृषक हेतु. रु. 175, बीज ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग आदि पर)
प्रमाणित बीज उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान	500 रु. प्रति क्विं. (रु. 375 कृषक हेतु रु. 175, बीज ग्रेडिंग, प्रोसेसिंग आदि पर)
प्रमाणित बीज वितरण अनुदान	1500 रु. प्रति क्विं. या कीमत का 30 प्रतिशत जो भी कम हो।
खंड प्रदर्शन	प्रदर्शन हेतु आवश्यक आदान सामग्री के लिये रु. 500 या कीमत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो।
हस्त/बैल चलित कृषि यंत्र पर अनुदान	हस्त चलित/बैल चलित कृषि यंत्र पर कीमत का 50 प्रतिशत अनुदान या न्यूनतम जो भी कम हो। (कार्य योजना के बिन्दु क्र. 3.4 अनुसार)
उर्वरक मिनीकिट वितरण	कुल रु. 300 उर्वरक एवं खाद प्रति एकड़ के लिये अनुदान देय है। (100 प्रतिशत अनुदान पर)

घटक	अनुदान सहायता
बीज उपचार	फफूंदनाशी हेतु 15 रू. प्रति हे. अनुदान देय होगा।
पी.एस.बी./एजेक्टोबेक्टर कल्चर	50 रू. प्रति हे. की दर से अनुदान देय होगा।
सूक्ष्म तत्व वितरण (जिंक सल्फेट/ जिप्सम)	200 रू. प्रति हे. अनुदान देय होगा।
कृषक प्रशिक्षण	30 कृषकों के समूह के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण रू. 3500 प्रति प्रशिक्षण देय होगा।

### 11. शाकम्भरी योजना

	क्र.	नाबार्ड द्वारा निर्धारित इकाई लागत	अनुदान पर प्रतिशत		
			ऑन फार्म वाटर मैनेजमेंट में दिये अनुदान	शाकम्भरी योजना में देय अनुदान	योग
	1	2	3	4	5
1. लघु सीमांत कृषकों को 05 एच.पी. तक पंप (विद्युत/डीजल चलित) अनुदान पर उपलब्ध कराना।	1	15,500	30%	45%	75%
2. लघु सीमांत कृषकों को कूप निर्माण पर अनुदान उपलब्ध कराना।	2	34,200	30%	20%	50%